Rcms-

A2
7

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

केवल सिंह वगै. बनाम स्टेट जरिए तहसीलदार, श्रीगंगानगर

अपील प्रकरण सं0 **५०** / 2017

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
01.05.17	अपीलांटस के अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। एडमिशन पर वकील अपीलांट की बहस सुनी गई। अपीलांटस ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा है कि बलविन्द्र सिंह, जीत सिंह, मंजीत सिंह पिसरान ज्ञान सिंह द्वारा उनके रकबा चक 12 क्यू के लिए जगदीश सिंह, अपीलांटस व अन्य का रकबा मुरब्बा नं. 26 के किला नं 15, 16, 25 में से एक–एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए धारा 251क आरटी एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसे क्रम संख्या 228/15 पर दर्ज किया जाकर दिनांक 28.12.2015 को निर्णय पारित किया गया, जिसके खिलाफ जगदीशसिंह द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर में अपील पेश की गई, जिसपर दिनांक 25–1–16 को निर्णय करते हुए दिनांक 28–12–15 को आदेश निरस्त किया जाकर मु0 नं0 25 में से रास्ता की संभावनाओं पर विचार करने का आदेश पारित किया गया, जिसपर पुनः कार्यवाही की जाकर प्रकरण सं0 33/16 बलविन्द्रसिंह वगैरा बनाम जगदीशसिंह वगैरा का निर्णय दिनांक 31–3–17 को किया जाकर मु0 नं0 25 के कि0 नं0 11,20,21 में से रास्ता स्वीकृत करने का आदेश दिया गया। रास्ता का अमलदरामद करवाने की कार्यवाही होने पर व तहसीलदार द्वारा प0 ह0 को लिखने पर प0 ह0 द्वारा 25–4–17 को रिपोर्ट में अंकित किया कि कि0 नं0 21 में स्वीकृत पक्की सड़क होने के कारण केवलसिंह वगैरा के संयुक्त खाता में से रकबा 0.190 है0 कि0 नं0 11 में 0.126 है0 रकबा जमाबंदी में दर्ज है तथा कि0 नं0 11 का शेष रकबा 0.126 है0 प्रार्थी बलविन्द्रसिंह के नाम खाता सं0 26 में 0.062 है व खाता सं0 13 में 0.054 है0 जगदीशसिंह पुत्र ज्ञानसिंह, खाता सं0 25 में 0.010 है0 बलविन्द्रसिंह, जगदीशसिंह, जीतसिंह, मनजीतसिंह पिसरान ज्ञानसिंह के नाम दर्ज है। अतः मु0 नं0 25 के कि0 नं0 21 में 0.009, कि0 नं0 0.006 है0 के रकबा का दुरूस्त करने का आग्रह किया गया, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसी रोज यह इंकित किया गया कि मामला उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर के ध्यान में लाया जावे। इसके बावजूद भी गलत तौर से इंतकाल करने का यकतरफा आदेश पारित कर दिया गया। इस प्रकार निवेदन किया कि अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर, स्थगन पर सुना जावे। अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि पटवारी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 25–4–17 जो तहसीलदार, श्री गंगानगर को सम्बोधित है, में अंकित किया है कि उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर के आदेशानुसार चक 12 क्यू मु0 नं0 25 के कि0 नं0 11,20,21 में 1–1 बिस्वा यानि 8.25 फुट चौड़ाई में रास्ता स्वीकृत किया गया है किन्तु कि0 नं0 21 में स्वीकृत पक्की सड़क होने के कारण अपीलांटस केवलसिंह वगैरा के संयुक्त खातों में रकबा 0.190 है0 एवं कि0 नं0 11 में 0.126 है0 रकबा जमाबंदी में दर्ज है, कि0 नं0 11 का शेष रकबा 0.126 है0 बलजिन्द्रसिंह के नाम खाता सं0 27 में 0.060 है0, खाता सं0	

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)

Scanned by CamScanner

13 में 0.054 जगदीशसिंह पुत्र ज्ञानसिंह एवं खाता सं0 25 में 0.010 है0 बलविन्द्रसिंह वगैरा के नाम दर्ज है। अतः मु0 नं0 25 के कि0 नं0 21/0.009, कि0 नं0 11/0.006को दुरूस्त कर, कि0 नं0 21 में 1 बिस्वा की जगह 3/4 बिस्वाकि0 नं0 11 में 1 बिस्वा की जगह 1/2 बिस्वा किया जाना उचित है। कि0 नं0 20 में एक बिस्वा है।

हल्का पटवारी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंकित किया गया कि " निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, उपखण्ड अधिकारी के ध्यान में लाया जाये "। इसके बाद पुनश्चयः अंकित किया गया कि "दिनांक 21–4–17 को एसडीएम एवं जिला कलक्टर के समक्ष इस बिन्दू पर चर्चा हुई थी, तब यह तय हुआ कि उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 31.3.17 की पालना की जावे। अतः कि0 नं0 11,20,21 में एक–एक बिस्वा रास्ता दर्ज किया जावे "।

पटवारी हल्का द्वारा दुरूस्ती की रिपोर्ट पेश की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एसडीएम, श्री गंगानगर के निर्णय दिनांक 31–3–17 की पालना करने का आदेश दिया है, जो प्रशासनिक आदेश है। अधीनस्थ न्यायालय का पृथक से कोई आदेश नहीं है इसलिए अपीलाधीन जिस आदेश को अपील में चुनौति दी गई है, वह पोषणीय न होने से अपील एडमिशन की स्टेज पर खारिज की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर खारिज की जावे। आदेशिका की प्रति तहसीलदार, श्री गंगानगर को जारी की जावे। पत्रावली निर्णित दर्शित कर, नम्बर से कम की जाकर, इन्डैक्स की जाकर, अभिलेखागार में जमा कराई जावे। आदेश सुनाया गया।

01/5/17

अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned by CamScanner